

पत्नी की हत्या का लगा था आरोप, 7 साल तक खोजा तो सामने आ गया यह बड़ा सच

कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन यह प्यार कभी-कभी किसी निर्दोष की जिंदगी को बर्बाद करने की वजह भी बन जाता है। ऐसा ही एक घटनाक्रम ओडिशा में सामने आया है। यहां एक पति पर उसकी पत्नी के गायब होने के बाद हत्या का आरोप लगा था। इस मामले में उसे एक महीने तक जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। अपने ऊपर लगे इस आरोप को हटाने के लिए आरोपी पति ने 7 सालों तक दर-दर की ठोकरें खाईं और आखिरकार एक दिन उसके हाथ पूरा सच लग गया। जिस पत्नी की हत्या के आरोप में पति रोज घुट घुटकर जीने को मजबूर था वह बीते 7 सालों से अपने प्रेमी के साथ रह रही थी। इस दौरान उसको एक बेटा और बेटी भी हो गए थे।

शादी के 2 महीने बाद गायब हो गई थी पत्नी

यह वाकया ओडिशा में पटकुरा के चाउलिया गांव के रहने वाले अभय सुतार के साथ घटा था। उसकी शादी इतिश्री से हुई थी। शादी के दो महीने बाद ही वह गायब हो गई थी। इतिश्री को खोजने के लिए अभय ने काफी कोशिश की लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। बाद में इतिश्री के गुमशुदा होने की शिकायत पुलिस में 20 अप्रैल 2013 को दर्ज कराई गई।

इसी साल 14 मई को इतिश्री के पिता प्रह्लाद मोहराना ने अपने दामाद अभय के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी कि वह उनकी बेटी को दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करता था। इसके अलावा प्रह्लाद ने अभय पर बेटी की हत्या कर उसके शव को कहीं दफनाने का गंभीर आरोप भी लगाया था।

1 महीने तक जेल में रहा था

इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने अभय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वह एक महीने तक जेल में रहा, इसके बाद उसे जमानत मिल सकी थी। जेल से छूटने के बाद अभय ने तय किया कि वह खुद को निर्दोष साबित करने के लिए इतिश्री की तलाश करेगा क्योंकि उसे आशंका थी कि उसकी बीवी किसी के साथ भाग गई है।

अभय ने इतिश्री की तलाश में दिन रात एक कर दिए थे। इसी दौरान एक दिन उसे पिपिली में इतिश्री नजर आ गई। वह यहां अपने प्रेमी राजीव लोचन मोहराना के साथ रह रही थी। इसके बाद अभय ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, फिर पुलिस ने इतिश्री और उसके पति को हिरासत में ले लिया।

पुलिस द्वारा कोर्ट के सामने इतिश्री और उसके पति को पेश किया गया। जहां इतिश्री ने बताया कि वह शादी के पहले से ही राजीव से प्यार करती थी लेकिन उसका परिवार इस बात से खफा था। उसकी अभय से जबरन शादी कराई गई थी। इस वजह से वह घर छोड़कर भाग गई थी। बीते सोमवार को कोर्ट ने अभय को निर्दोष मानते हुए उसे बरी कर दिया।

साभार- <https://www.naidunia.com/> से